न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
प्रकरण संख्या - 42/22

1:- [illegible] पिता [illegible] अग्रवाल निवासी भोपालगंज जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2:- राजकुमार पिता स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ़ तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

...........प्रार्थीगण

– बनाम –

1:- राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार बेगूँ
2:- रेखा पिता स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ़ तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3:- सुमन पिता स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ़ तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4:- नीलम पिता स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ़ तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
5:- श्रीमति चंचल देवी पत्नी स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ़ तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
6:- कैलाशचन्द्र पिता पृथ्वीराज कचोलिया निवासी आजाद चौक भीलवाडा जिला भीलवाडा

............विपक्षीगण

..

उपस्थित :: श्री राजकपूर पाटनी
अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थित
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक : 04.04.2023

<u>आदेश पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.ए.</u>

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 आर.एल.आर.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया है कि मौजा ग्राम मेनाल पटवार क्षेत्र रावडदा तह0 बेगूँ में आराजी सं0 240/209 कीता 1 कुल रकबा 3.2370 है0 की आराजीयात स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात (आराजी सं0 240/209 कीता 1 कुल रकबा 3.2370 है0) प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 लगायत 6 के नाम पर खातेदारी हक से अभिलिखित हो चली आ रही है और राजस्व माली कागजातों में दर्ज हक व हिस्सेनुसार ही प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते [illegible] सं0 2 लगायत 6 प्रार्थीगण के साथ बजुमरे प्रार्थी बनने को तेयार नहीं है इस कारण उन्हे [illegible] विपक्षी संयोजित किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:52:51 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 लगायत 6 के नाम [illegible] विवादित आराजी सं0 240/209 के पूर्व नंबर अर्थात साबिक आराजी नं0 20[illegible] [illegible] 10 बिस्वा में से [illegible] भूमि का आवंटन दलेल सिंह मुतबन्ना फतेह सिंह राजपूत को ज[illegible] इंतकाल सं0 53 तहसीलदार सा, बेगूँ के आदेश कमांक 65/83 की पालना में खोला गया। उक्त वर्णित इंतकाल के बाबत राज्य सरकार द्वारा श्रीमान उपजिलाधीश महोदय, बेगूँ प्रकरण सं0 13/84 अनवान सरकार बनाम दलेल सिंह अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 26.12.1984 को राज्य सरकार की अपील स्वीकार हुई। जिसके विरूद्ध दलेल सिंह मुतबन्ना फतेह सिंह राजपूत द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर कैंप चित्तौडगढ अपील सं0 145/85 अनवान दलेल सिंह बनाम राज0 राज्य द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 07.11.1985 को स्वीकार की गई। जिसके [illegible]

[illegible]
[illegible] 2 लगायत 6 [illegible]
कठिनाई हो रही है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं0 1 तहसीलदार बेगूँ को कई मर्तबा निवेदन किया तथा अंतिम तकाजा दिनांक 30.09.2022 को करने पर तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रा0प0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की हिदायत दी। जिस पर यह प्रा0प0 श्रीमान के समक्ष पेश है।

यह कि विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान न्यायालय आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से प्रा0प0 की श्रवणाधिकारिता न्यायालय आप में होने से यह वाद बाबत विभाजन आराजीयात का श्रीमान के यहा पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रा0प0 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 2 लगायत 6 के नाम दर्ज आराजी सं0 240/209 रकबा 3.2370 है0 वाके ग्राम मेनाल तह0 बेगूँ का प्रा0प0 के साथ संलग्न नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 आर.एल.आर.ए. दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। विपक्षी सं0 2, 3, 4, 5, 6 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण 2 से 6 ने संयुक्त रूप से 500 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया। विपक्षी सं0 1 ने उपस्थित होकर निम्न प्रकार से जवाब प्रस्तुत किया–

प0ह0 रावडदा से उक्त प्रा0प0 के संबंध में जांच रिपोर्ट ली गई, जो जवाब दावे के साथ संलग्नानुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण क्र.स. 2 से 6 के नाम संयुक्त रूप से ग्राम मेनाल में आराजी नं0 240/209 रकबा 3.2370 है0 खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में उक्त खातेदारान का कब्जा है। जो कि आराजी सं0 241/209 के पश्चित दक्षिण सीमा में लगता हुआ है। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित नक्शा दिनांक 10.02.2021 अनुसार है।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 में आराजी सं0 240/209 कुल रकबा 3.2370 है0 भूमि में नामांतरण सं0 219 दिनांक 05.05.2016 में विरासत से खाता हिम्मत सिंह के बजाय श्री राजकुमार, हर्ष कुमार, रेखा, नीलम पिता हिम्मत सिंह चंचल देवी पत्नी स्व0 हिम्मत सिंह आंचलिया निवासी माण्डलगढ 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज अंकित किया गया व तहसीलदार बेगूँ के जवाब में प्रार्थीगण व विपक्षीगण सं0 2 से 6 के नाम संयुक्त रूप से ग्राम मेनाल में आराजी सं0 240/209 रकबा 3.2370 है0 भूमि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में उक्त खातेदारान का कब्जा है जो कि आराजी सं0 2412/209 के पश्चिमी दक्षिण सीमा से लगता हुआ है। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित नक्शा दिनांक 10.02.2021 अनुसार है एवं जवाब के साथ संलग्न पर्चा मौका में आराजी सं0 241/209 रकबा 5.3830 है0 जो कि प्रस्तावित तरमीम के उत्तर पूर्व दिशा में लगा होकर खातेदार परिक्षित अंकित नूतन प्रीति पिता पारसकुमार वगेरह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। भूमि लगी हुई होकर वादीगण के ही रिश्तेदारान ना होना मौके पर पाया गया एवं पडोसियों से व उपस्थित मौतबिरान से मालूमात करने पर की उक्त तरमीत आराजी सं0 240/209 की आराजी सं0 241/209 के पश्चिमी दक्षिणी सीमा से लगी हुई है जो वाद में प्रस्तावित नजरी नक्शा दिनांक 10.02.2021 अनुसार किया जाना उपस्थित मौतबिरान ने [illegible] गया है। उक्त तरमीम होने वाली भूमि काश्त योग्य होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 किमी. की दूरी पर दिशा में स्थित है। खनन योग्य भूमि नहीं है, का अंकन है। प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षीगण द्वारा 500 रूपये स्टाम्प पर संयुक्त रूप से शपथि पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी सं0 240/209 ग्राम मेनाल की भूमि पर वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन किया जाने पर पाया उक्त भूमि का आराजी मूल आराजी नं0 209 है जिसके बटा नम्बर डालते हुए प्रार्थी के खातेदारी की आराजी सं0 240/209 रही है चूंकि प्रार्थी का कब्जा मूल आराजी नं0 सं 209 से बने हुए नवीन आराजी सं0 241/209 के पश्चिमी दक्षिणी से लगी हुई स्थित है। आराजी सं0 240/209 रकबा 3.2370 है0 जिसको कब्जानुसार तरमीम किया जाने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:52:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रा0प0 अ0धा0 136 आर.एल.आर.ए. का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूँ को आदेशित किया जाता है कि मौजा मेनाल प0ह0 रावडदा में स्थित आराजी सं0 240/209 कुल रकबा 3.2370 है0 भूमि है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की कब्जेसुदा भूमि आराजी सं0 240/209 कुल रकबा 3.2370 है0 जो कि आराजी सं0 241/209 के पश्चिमी दक्षिणी से लगी हुई स्थित है। प्रार्थीगण की इस आराजी सं0 240/209 रकबा 3.2370 है0 भूमि कब्जे अनुसार पुख्ता तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ भेजी जाये।

आदेश आज दिनांक 04.04.2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2023/150 दिनांक :– 04.04.2023

आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में पुख्ता तरमीम करना सुनिश्चित करे।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:52:51 IST
Reason: SelfAttested